झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या– वनभूमि–30/2008– **व०प०, राँची, दिनांक–**

प्रेषक

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :– मेसर्स ई०सी०एल० की हुर्रा 'सी' परियोजना हेतु 260.00 हे0 (कुल प्रस्तावित 527.043 हे0) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में ।

प्रसंग :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–F.No. 8-6/2009-FC दिनांक–21.05.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयक परियोजना को प्रदत्त स्टेज–II की स्वीकृति में लगाये गये शर्तों का प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1295 दिनांक–25.10.2019, पत्रांक–1361 दिनांक–22.11.2019, पत्रांक–33 दिनांक–16.01.2020, पत्रांक–717 दिनांक–08.06.2021 एवं पत्रांक–38 दिनांक–12.01.2022 से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार के निर्णयानुसार विषयक परियोजना में सन्निहित 232.927 हे0 अधिसूचित वनभूमि विमुक्त की जाती है।

प्रस्ताव में सन्निहित 22.817 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अतः उक्त जंगल–झाड़ी भूमि का हस्तांतरण राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के स्तर से अपेक्षित है। तद्नुसार निज स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त आशय की सूचना देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वनभूमि–30/2008– व0प0, राँची दिनांक–

प्रतिलिपि–सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003/उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं0–A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची, झारखण्ड–834002 को स्टेज–II के अनुपालन प्रतिवेदन (अनुलग्नक सहित) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0–यथोक्त।

ह0/–
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वनभूमि–30 / 2008– वа०प०, राँची दिनांक–

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को स्टेज–II की स्वीकृति संबंधी पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में सन्निहित 22.817 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि के हस्तांतरण हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

ह0 / –
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वनभूमि–30 / 2008– व0प0, राँची दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका / वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमंडल / मुख्य महाप्रबंधक, राजमहल ग्रुप ऑफ माईन्स, ई0सी0एल0, डाकघर–बड़ा सिमरा, गोड्डा–814165 को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वनभूमि–30 / 2008– 297 व0प0, राँची दिनांक– 04/02/2022

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय Website **"forest.jharkhand.gov.in"** पर Upload करने हेतु प्रेषित।

4/2/2022
उप परामर्शी।